

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2026/191546/MRB/MORADABAD/3278/CFO****दिनांक : 14-03-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **BRIGHT FUTURE PUBLIC SCHOOL** पता **MUNDIA RAZA, MORADABAD ROAD, MORADABAD** तहसील - **BILARI** प्लॉट एरिया **7650.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2224.96** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
1	2	0	8.08 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **BRIGHT FUTURE PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **30-03-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RATISH SHARMA ratishsharma382@gmail.com 8923949289** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-04-2026** से **31-03-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **BRIGHT FUTURE PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **BRIGHT FUTURE PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : एफएसओ श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा अपलोड अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएँ एनबीसी-2016 व उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के अनुसार मानकों के अनुरूप कार्यशील दशा में स्थापित पाई गई। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए। उक्त की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी। उपरोक्तानुसार एफएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

**निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-04-2026**
स्थान : MORADABAD

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJEEV KUMAR PANDEY

6C6B7CD87F8DA0280481F96BE77A196410E6956C

01-04-2026

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.